

भूमि का शुद्ध वर्तमान (एन०पी०वी०) में संशोधन होने पर अवशेष के भुगतान किये जाने सम्बंधित वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा प्रस्तावित 765 के०वी० डबल सर्किट उरई से अलीगढ़ पार्ट-4 पैकेज टी०ई०-०९ पारेषण प्रणाली के निर्माण हेतु हाथरस एवं अलीगढ़ वन प्रभाग की गैर वानिकी कार्य के लिये प्रयोग की जाने वाली वांछित 1.6677 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि(हाथरस-1.0082हे.+अलीगढ़-0.6595हे.)के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के उपरांत भी भविष्य में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) में संशोधन (यदि कोई हो) होने पर अवशेष (एन०पी०वी०) का भुगतान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

Countersigned
(S.D. Tripathi)
Divisional Directors,
Social Forestry Division, Aligarh
Date: 13/02/18

S.K. Singh
D.G.M.
Powergrid, Aligarh

(मुकेश शर्मा)
प्रभागीय वनशांतिकारी
हाथरस वन प्रभाग
दिनांक 19/02/18